60 दिवसीय 'टोबेको फ्री यूथ कैंपेन' कार्ययोजना के अंतर्गत **राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, एनएचएम** राजस्थान सरकार व संप्रीति संस्थान के संयुक्त तत्वधान और सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से एक **राज्य स्तरीय डिजिटल जागरूकता अभियान** और विभिन्न राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं, गतिविधियों जैसे ऑनलाइन टोबेको फ्री यूथ विडियो संदेश प्रतियोगिता, **टोबेको फ्री यूथ जागरूकता NTCP / IEC विडियों संदेश प्रतियोगिता**, ऑनलाइन टोबेको फ्री यूथ पेंटिंग और स्लोगन प्रतियोगिता, ऑनलाइन टोबेको फ्री यूथ सेल्फ़ी प्रतियोगिता**,** ऑनलाइन टोबेको फ्री यूथ जागरूकता सँवाद / वेबिनार सत्र आदि का आयोजन।

(क्रमांक 4) ऑनलाइन टोबेको फ्री यूथ सेल्फ़ी प्रतियोगिता:

प्रतियोगिता अंतिम तिथि : 31 जुलाई 2023 प्रात:10 बजे तक।

आयु : समस्त आयु वर्ग **फ़िल्मांकन:** किसी भी मोबाइल अथवा कैमरा द्वारा **व्यक्ति संख्या :** एकल/ परिवार/ समूह

विषयः
विभाग द्वारा बनाए गए **टोबेको फ्री यूथ सेल्फ़ी बॉक्स के साथ अथवा इसकी आईईसी सामग्री अथवा रचनात्मक तरीक़े से अपने स्तर पर तम्बाकू से दूर रहने के संदेश के साथ अपनी सेल्फ़ी फ़ोटो**

पुरस्कार:
सबसे अधिक लाइक की सेल्फ़ी पोस्ट को विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

ऑनलाइन टोबेको फ्री यूथ सेल्फ़ी प्रतियोगिता हेतु हैशटेग:
#TobaccoFreeYouthSelfieContest #TobaccoFreeRajasthan2023

गूगल फोर्म लिंक :
https://bit.ly/nhmselfiecontest
https://forms.gle/FHq3N3XDexVFbpC59

विवरण, नियम एवं शर्तें:

प्रतियोगिता में शामिल होने एवं प्रविष्टियाँ भेजने का तरीका: इसमें प्रतिभागियों को विभाग द्वारा बनाए गए **टोबेको फ्री यूथ सेल्फ़ी बॉक्स के साथ अथवा इसकी आईईसी सामग्री अथवा रचनात्मक तरीक़े से अपने स्तर पर तम्बाकू से दूर रहने के संदेश के साथ अपनी सेल्फ़ी फ़ोटो** को अपने सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर,इंस्टाग्राम) पर **प्रतियोगिता के हैशटेग #TobaccoFreeYouthSelfieContest #TobaccoFreeRajasthan2023 को अनिवार्य रूप से साथ लिखते हुए** पोस्ट करना है।

उक्त **सेल्फ़ी पोस्ट का लिंक प्रतिभागी द्वारा उनके नाम, आयु, पता, प्रतियोगिता श्रेणी के विवरण के साथ गूगल फोर्म में अनिवार्य रूप से भरकर भेजना होगा। एक ही सेल्फ़ी फोटो यदि सभी प्लेटफ़ोर्म (फेसबुक, ट्विटर,इंस्टाग्राम) पर साझा किया गया है तो उसके सभी प्लेटफ़ोर्म पोस्ट लिंक गूगल फोर्म में अवश्य रूप से साझा करें अन्यथा उन्हें एकल प्रविष्टि नहीं माना जाएगा।** एक से अधिक प्रविष्टियाँ भिजवाई जा सकती हैं। उपरोक्त के साथ -साथ Annexure – A की समस्त शर्तें भी लागू रहेंगीं।

शर्तें: Annexure - A

1. ऑनलाइन विडियों प्रतियोगिता व जागरूकता NTCP / IEC विडियों संदेश ॠंखला, सेल्फ़ी प्रतियोगिता, लघु फ़िल्म प्रतियोगिता में शामिल होने हेतु आयु का सीमा बंधन नहीं हैं।
2. उपरोक्त वर्णित हैशटैग के साथ पोस्ट की गई विडियों / फोटो / लघु फ़िल्म ही मान्य होगी। इसके साथ ही उक्त पोस्ट का लिंक भी तय सीमा में गूगलफोर्म में भर कर भेजा जाना अनिवार्य है। अधूरे हैशटैग अथवा बिना फोर्म भरे प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी। स्वीकरण व अस्वीकरण से जुड़े सर्वाधिकार आयोजनकर्ता के पास सुरक्षित है।
3. प्रतिभागी/ संदेश कर्ता नशा मुक्ति का संदेश देने हेतु अपनी रचनात्मकता का प्रयोग कर सकता है।
4. एक से अधिक प्रविष्टि भेजी जा सकती है।
5. विडियों / लघु फ़िल्म / फोटो किसी भी मोबाइल अथवा कैमरा पर रिकोर्ड किया जा सकता है।
6. विडियों / लघु फ़िल्म संदेश एकल के अतिरिक्त परिवार / समूह रूप में भी दिया जा सकता है।
7. विडियों/ लघु फ़िल्म / फोटो की भाषा, कंटेंट अथवा दृश्य नशा मुक्ति, नशे से दूरी का संदेश अनिवार्य रूप से देने चाहिए।
8. विडियो विडियों / लघु फ़िल्म / फोटो की भाषा , कंटेंट अथवा दृश्य शालीन, भद्र होने चाहिए एवं किसी भी तरह के भेदभाव (रंग, वर्ण, वर्ग आदि) को परिलक्षित नहीं करने चाहिए।
9. भाषा, कंटेंट अथवा दृश्य अथवा समाहित संदेश पर आपत्ति के आधार पर प्रविष्टि अमान्य की जा सकती है।
10. किसी भी प्रविष्टि को बिना कारण बताएँ ख़ारिज करने का अधिकार आयोजनकर्ता के पास सुरक्षित है।
11. विडियों / फोटो / लघु फ़िल्म संदेश हिंदी, राजस्थानी, अंग्रेज़ी भाषा में बनाया जा सकता है।
12. प्रतियोगिता में शामिल होकर सम्बंधित श्रेणी में इनाम प्राप्त करने हेतु व्यक्ति का भारतीय / अप्रवासी भारतीय होना आवश्यक है। जागरूकता विडियों संदेश ॠंखला के तहत विडियों संदेश साझा करने हेतु कोई नागरिकता बंधन नहीं है।
13. किसी अन्य का विडियों / लघु फ़िल्म / फोटो लेकर पोस्ट कर देना स्वीकार्य नहीं है।
14. समूहों और परिवार की अनुमति है। गूगल फोर्म में अथवा माँगें जाने पर आपको उनके नाम व विवरण साझा का उल्लेख करना होगा।
15. कृपया किसी भी अफवाह या फ़ेक समाचार या भ्रामक सामग्री फैलाने जैसा कंटेंट ना बनाएँ । यह क़ानूनन अपराध है ।